



6

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर - 19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विधि/एल.एम-115-764/ 2173

रायपुर, दिनांक 03/09/2019

प्रति,

वन मंडलाधिकारी

कोरबा एवं जौजगीर-चौपा वनमंडल

छत्तीसगढ़

विषय - Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Consultancy Services for Preparation of DPR for National Highway Authority of India (NHAI), propose the Up gradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the state of Chhattisgarh. Package-I (0+00 to 38+150), area - 4.493 ha. - regarding

संदर्भ: - आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 03.08.2019 एवं अभिलेखीकृत प्राप्त दिनांक 11/08/2019

-00-

विषयान्तर्गत NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU BILASPUR द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत Consultancy Services for Preparation of DPR for National Highway Authority of India (NHAI), propose the Up gradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the state of Chhattisgarh. Package-I (0+00 to 38+150), हेतु जौजगीर चौपा वनमंडल - 1.673 हे. एवं कोरबा वनमंडल-2.82 हे. कुल क्षेत्र 4.493 हे. वन मंडल अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन नोडल कार्यालय को आनलाईन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क रुपये 6000 + 29,000 = 35,000/- के व.म.अ. कोरबा वनमंडल कार्या में जमा प्राप्ति की स्कैन प्रति आनलाईन संलग्न की गई है। उक्त प्रकरण को स्वीकार कर पंजीयन कर लिया गया है। कोरबा वनमंडलाधिकारी उक्त प्रकरण हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

प्रकरण का आनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/37444/2018 आवंटित किया गया है।

पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि पी.डी. खाते में जमा होने संबंधी पुष्टि करें एवं प्रकरण के पंजीयन परचातु हार्ड कॉपी में प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित

(सुनील मिश्रा)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/ विधि/एल.एम-115-764/ 2174

रायपुर, दिनांक 13/09/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी (वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय) अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.।
- Project Director, NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU BILASPUR D-61, HIG-1 (Akash), Abhilash Parisar, Behind Hitech Bus Stand, Tifra, Bilaspur, Chhattisgarh - आनलाईन फॉर्म "ए" की हस्ताक्षरित प्रति गय संलग्न मूल अभिलेख, डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ वन मंडल कार्यालय में जमा करें। वर्तमान में किसी भी वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

प्रपत्र - 1

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत नवीन प्रस्ताव की अभिस्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र

आवेदक/आवेदक संस्थान- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा कोरबा वनमण्डल के कोरबा एवं करतला परिक्षेत्र एवं जांजगीर चांपा वनमंडल के चांपा परिक्षेत्र में एनएच.149बी के चाम्पा - कोरबा-छुरी-कटघोरा भाग में चाम्पा से उरगा (0+000 से 38+150) तक 4 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रमावित कुल वनभूमि रकबा 4.493 हे. का प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव दिनांक 03.08.2019 को हुआ एवं इस प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन नम्बर FP/CG/ROAD/37444/2018 है।

आवेदक से पंजीयन शुल्क 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क 29000/- कुल योग्य राशि 35000/- को कोषालय में चालान क्रमांक 193 दिनांक 25.03.2019 के द्वारा जमा किया गया है।

वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमंडल कोरबा